न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 116 / 2012

वादी :— वनाम प्रतिवादीगण :—

1. कानाराम पुत्र गलाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

1. मृतक पुखाराम पुत्र पुखाराम के कायम मुकाम

1/1 मृतक शोभाराम पुत्र पुखाराम के का0मु0

1/1/1— दाखु पत्नि शोभाराम

1/1/2—खेताराम पुत्र शोभाराम एन पूर्वी गिल्क गिल्स 20/7 गोलवाला मार्केट रिंगरोड सुरत, गुजरात।

1/1/3— सोहनलाल पुत्र शोभाराम जाति घांची निवासी सोजत (डिम्पल, महेन्द्र, उगमराम, सुमित्रा)

1/2 मृतक वेनाराम पुत्र पुखाराम के का0मु0

1/2/1— मैना देवी पत्नि वेनाराम

1/2/2— मदनलाल

1/2/3— जवरीलाल, निर्मला टेक्स टाईल्स Kama Road, Salai, Channasekuchi Manali Channai

1/2/3—जवरीलाल, निर्मला टेक्स टाईल्स Kama Road, Salai, Channasekuchi Manali Channai

1/2/4—जुगराज पुत्र वेनाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी हाल निवासी निर्मला टेक्स टाईल्स Kama Road, Salai, Channasekuchi Manali Channai

1/3 मृतक खीवाराम पुत्र पुखाराम के का0मु0

1/3/1—लक्ष्मण पुत्र खीवाराम जातियान घांची निवासी सोजत सिटी जिला पाली।

2. मृतक पुना पुत्र गजा के कायम मुकाम

2/1 पेमाराम

2/2 सुकराराम

2/3 मृतक कानाराम पुत्र पुना के कायम मुकाम

2/3/1—झुमरलाल पुत्र कानाराम जातियान

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

घांची निवासी सोजतसिटी।

3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या— 1/1/1, 1/1/3, 1/2/1, 1/2/2, 1/3/2 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — : 03/07/2025

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी सुदा कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खाता संख्या 840 रकबा 0.4100 है0 किस्म चा0अ0 चा0प्र0 आई हुई स्थित है। खसरा नम्बर 840 रकबा 0.4100 है0 खसरा मिलान के अनुसार पुराना खसरा संख्या 132/11, 132/13/1, 132/13/2, 132/13 मी. से बनना बताया गया है। पुराने खसरा संख्या 132/11 रकबा 1 बीघा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 132/13/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 132/13/2 रकबा 7 बिस्वा एवं खसरा संख्या 132/13 मी0 रकबा 1 बिघा 13 बिस्वा कृषि भूमि थी। पुराना खसरा संख्या 132/11, 132/13/1, 132/13 मी0 मालिया वल्द नवला की खातेदारी कब्जा काश्त का चला आ रहा है, वर्तमान खसरा संख्या 840 रकबा 0.4100 है0 कृषि भूमि पर कानाराम वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की वादस्थ कृषि भूमि पर कतई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 पुना पुत्र गजा के वारिसान की कृषि भूमि खसरा संख्या 841 रकबा 0.2800 है0 है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3/1 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त खसरा संख्या 132/15 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा संख्या 132/13 मीटर से बना है। पुना पुत्र श्री गजा के पुराना खसरा 132/15 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि थी तथा वर्तमान खसरा संख्या 841 रकबा 0.2700 है0 कृषि भूमि है। यानि पूर्व के बराबर कृषि भूमि खसरा संख्या 841 प्राप्त हो चूकी है। इसके बावजूद भी खसरा संख्या 840 में प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3/1 के पिता का नाम दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि खसरा संख्या 840 पर प्रतिवादीगण कभी कब्जा काश्त नहीं रहे है। वादी बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट अधिकारी अपने अधिकार के परे जाते हुए प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3/1 के पिता पुना पुत्र गजा के नाम खसरा संख्या 840 में दर्ज कर दिया जबकि पुना पुत्र गजा का न तो कब्जा था न ही उनके वारिसान का कब्जा है। वादी खसरा संख्या 840 पर बिना किसी रोक टोक के चला आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3/1 अब उनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खसरा संख्या 840 में देख कर वादी को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 21/06/2012 को एलानिया धमकी दी कि वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करके रहेगे तथा उक्त कृषि भूमि को अन्य शख्स को बेचान, हस्तानान्तरण करके रहेंगे। जब वादी ने प्रतिवादी को कहा कि उक्त कृषि भूमि में अपना दौराने सेटलमेंट गलत नाम दर्ज हो गया है इसलिए

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पुनः मेरे नाम तहसील कार्यालय में चल कर करवा दो लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी के नाम करवाने से साफ इन्कार कर दिया। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 840 रकबा 0.4100 है0 कृषि भूमि का प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित करने, सम्पूर्ण खसरा संख्या 840 रकबा 0.4100 है0 वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को वादी के खसरा संख्या 840 रकबा 0.4100 है0 कृषि भूमि में वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे और ना ही किसी नोकर, ऐजेन्ट आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1/1/1, 1/1/3, 1/2/1, 1/2/2, 1/3/2 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा व जवाव दावा पेश किया, सा0मि0 किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वाद पत्र का पद संख्या 1 मे वादी का यह कहना सही है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक नम्बर 1 मे वर्तमान खसरा नम्बर 840 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म जा०अ० चाही प्रथम की वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आई हुई हैं। वाद पत्र का पद संख्या 2 में वादी का यह लिखना सही है कि वर्तमान खसरा नम्बर 840 रकबा 0.4100 हैक्टर खसरा मिलान के अनुसार पुराना खसरा नम्बर 132/11, 132/13/1, 132/13/2, 132/13 मी. से बना हुआ है तथा इनका रकबा भी सही बताया गया है, परन्तु वादी का यह लिखना गलत है कि पुराना खसरा नम्बर 132/11, 132/13/1, 132/13 मी. मालिया पुत्र नवला की खातेदारी कब्जा काश्त की थी, जो कृषि भूमि पर कानाराम पुत्र मालाराम की कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खसरा नम्बर 132/12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 132/13/1 रकबा 8 बिस्वा, 132/18 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा की कृषि भूमि पुकीया, मलीया बेटा नवला जात रा घाँची की है, ऐसी स्थिति में मात्र मालिया उर्फ मलीया का एक मात्र कब्जा बताना सर्वथा गलत है तथा वर्तमान में कानाराम (वादी) का कब्जा काश्त बताना भी गलत है। वादस्थ खसरा पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा कास्त है, अन्य सभी तथ्य वादी स्वयं अपने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित करे। इस प्रकार अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर वादी का वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

दिनांक 14.02.2022 को वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई–

01. आया वादग्रस्त कृषि भूमि पर वक्त सैटलमेंट, सैटलमेंट अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे, कब्जे के अभाव में पुना पुत्र गजा के नाम रेकर्ड में दर्ज किया।

(जिम्मे वादी)

02. आया वादी वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं।

(जिम्मे वादी)

03. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज०)

(जिम्मे वादी)

04. आया वादकारण के अभाव में वादी का वाद काबिल खारिज के हैं।

(जिम्मे प्रतिवादी)

05. अनुतोष।

अधिवक्ता वादी द्वारा शहादत वादी में तस्दीकशुदा शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 कानाराम का पेश किया एवं बयान कलमबद्ध करवाये जाकर दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की जमाबंदी के ख.नं. 840 सम्वत् 2066—69 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श—1 हैं। खसरा मिलान खसरा संख्या 840 व 841 की प्रमाणित प्रति. प्रदर्श—2 हैं। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की जमाबंदी के खाता सं० 336 सम्वत् 2022—25 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श—3 हैं। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की जमाबंदी के खाता सं० 483 सम्वत् 2022—25 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श—4 हैं। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की जमाबंदी के खाता सं० 335 व 336 सम्वत् 2022—25 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श—5 हैं। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की जमाबंदी के खाता सं० 238 सम्वत् 2022—25 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श—6 हैं। सोजत चक प्रथम का बापी पट्टा की फोटो प्रति पेश की है। मेरे द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि की मूल बेचान रजिस्ट्री प्रदर्श—7 है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—7ए हैं, जो प्रदर्शित करवाये गए। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता, पुनः परीक्षण करवाकर जिरह प्रतिवादी बन्द की गई। दिनांक 08.10.2024 को ओर शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने शहादत वादी बंद की गई। दिनांक 07.11.2024 को अधिवक्ता प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस के जरिये निवेदन किया कि वादी ने सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 840 रकबा 0.4100 हैक्टर कृषि भूमि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 69 के खाता संख्या 175 खसरा संख्या 840 की पेश की गई जो जमाबन्दी प्रदर्श—1 है। उक्त कृषि भूमि में खातेदार कानाराम पुत्र भल्लाराम 1/3, पुखाराम पुत्र नवलाराम 1/3 व पुना पुत्र गजा 1/3 हिस्सा के अनुसार दर्ज किया है। खसरा संख्या 840 रकबा 0.4100 हैक्टर के गत खसरा मिलान के अनुसार 132/11, 132/13/1, 132/13/2, 132/13 मीन से बना है। पुराने खसरा संख्या 132/11 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, खसरा संख्या 13/13/1 रकबा 8 बीस्वा, खसरा संख्या 132/13/2 रकबा 7 बीस्वा, खसरा संख्या 132/13 मीन रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा कृषि भूमि थी। पुराने खसरा संख्या 132/13 रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा कृषि भूमि वादी के पिता मालिया वल्द नवला की खातेदारी कब्जा काश्त की थी, जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2022 से 25 है। गत खसरा संख्या 132/12, 132/13/1, पुकीया, मालिया बेटा नवला की नाम की खातेदारी कृषि भूमि थी। जो जमाबन्दी 2022 से 25 के खाता संख्या 336 से साबित है। गत खसरा संख्या 132/13/2, 132/15 का कुल रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा कृषि भूमि पुनमा पुत्र गजरा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

के नाम की खातेदारी दर्जसुदा थी, जिसकी जमाबन्दी 2022 से 2025 के खाता संख्या 338 से साबित है। गत खसरा संख्या 132/11 रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा मालिया वल्द नवला के अकेले की खातेदारी कृषि भूमि थी तथा गत खसरा संख्या 132/13/1, 132/13/12, 132/18, कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि पुकिया, मालिया बेटा नवला की खातेदारी थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादी के पिता का था। गत खसरा संख्या 132/15 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं 132/13 मीन से नये खसरा संख्या 841 रकबा 0.2800 हैक्टर खसरा मिलान के अनुसार बनना बताया गया है। गत खसरा संख्या 132/15 पुनमा पुत्र गजरा के नाम का था, जिससे वर्तमान खसरा भी 841 पुनमा वल्द गजरा के नाम से दर्ज कर दिया गया, जिसमे खसरा संख्या 841 पुना वल्द गजा की सम्पूर्ण कृषि भूमि दर्ज हो चुकी है। उसके बावजुद भी सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान खसरा मिलान से खसरा संख्या 840 में भी बाद में पुना वल्द गजा दर्ज कर दिया जो खसरा मिलान के देखने मात्र से स्पष्ट साबित हो रहा है कि उक्त नाम बाद मे दर्ज हुआ है। जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किया गया जबकि खसरा संख्या 132/11 एवं 132/17 वादी का खरीदसुदा, कब्जासुदा मालिकाना हक का था। उक्त खसरा संख्या 840 पुना वल्द गजा गलत दर्ज हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी मे पुना वल्द गजा 1/3 हिस्सा के स्थान पर वादी अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा खसरा संख्या 132/11 एवं 132/17 के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 849 रकबा 0.2300 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा संख्या 840 रकबा 0.4100 हैक्टर का 1/3 हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 04/07/1983 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। जिससे वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान खसरा संख्या 840 मे पुना वल्द गजा का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज कर दिया गया जो आज तक जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से पुना वल्द गजा 1/3 हिस्सा के स्थान पर वादी खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस पेश कर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा. निवेदन किया कि पुराना खसरा नम्बर 132/11, 132/13/1, 132/13 मी. मालिया पुत्र नवला की खातेदारी कब्जा कास्त की थी जो कृषि भूमि पर कानाराम पुत्र मालाराम की कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खसरा नम्बर 132/12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 132/13/1 रकबा 8 बिस्वा, 132/18 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा की कृषि भूमि पुकीया, मलीया बेटा नवला जात रा घाँची की है, मालिया उर्फ मलीया का एक मात्र कब्जा नहीं है तथा वर्तमान में कानाराम (वादी) का कब्जा काश्त बताना भी गलत है। वादस्थ खसरा पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण कतई उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा नहीं है। वादी द्वारा गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया हैं। इस प्रकार अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर वादी का वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अधिवक्ता वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्य सबूत तथा तस्दीक शुदा शपथ पत्र पर लिये गये बयानात गवाहान पर की गई, जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी तथा प्रस्तुत जबाब दावा, अभिरक्षा में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कायम की गई तनकियात को निम्नांकित रूप से विवेचित किया जाता है–

01. आया वादग्रस्त कृषि भूमि पर वक्त सैटलमेंट, सैटलमेंट अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे, कब्जे के अभाव में पुना पुत्र गजा के नाम रेकर्ड में दर्ज किया।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2066–69 खाता सं0 175 खसरा नं0 840 की पेश की, जिसमें खातेदार कानाराम पुत्र भल्लाराम 1/3, पुखाराम पुत्र नवलाराम 1/3 व पुना पुत्र गजा 1/3 के अनुसार दर्जसुदा हैं। प्रदर्श–2 खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान ख.नं. 840 गत खसरा सं0 132/11, 132/13/1, 132/1/2 एवं 132/13 से बनना बताया गया है। खसरा मिलान के कॉलम सं0 23 व 24 में दर्ज खातेदार के नाम साथ ही बाद में पुना वल्द गजा दर्ज किया हुआ प्रतीत हो रहा हैं। उक्त नाम दर्ज करने के संबंध में खसरा मिलान के कॉलम सं0 26 विशेष विवरण में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या आदेश संबंधित अंकित किया हुआ नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–3 सम्वत् 2022–25 के गत खसरा सं0 132/12, 132/13/1, 132/18 पुकीया, मालीया बेटा नवला जात रा घांची के नाम खातेदारी दर्ज सुदा हैं तथा प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2022–25 के खसरा सं0 132/13 मालीया बेटा नवला जात रा घांची के नाम खातेदारी दर्ज सुदा है। उक्त जमाबंदी में पुना वल्द गजरा के नाम की कोई खातेदारी दर्जसुदा नहीं हैं। उक्त दस्तावेजों के मिलान से यह स्पष्ट है कि सैटलमेंट के दौरान गत खसरा से नये खसरा सं0 840 दर्ज करते समय खातेदारों के साथ ही पुना वल्द गजा का इन्द्राज गलत दर्ज हुआ हैं।

यह है कि वादी ने अपने साक्ष्य के दौरान उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाते हुए सशपथ कथन किया है कि दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि पुना वल्द गजरा का नाम सैटलमेंट के दौरान ही किसी बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से इन्द्राज हुआ हैं, जो गलत इन्द्राज हुआ। सैटलमेंट के दौरान उक्त इन्द्राज होने से वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श–1 में पुना वल्द गजरा का 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। जो गलत इन्द्राज चला आ रहा है। पुना वल्द गजरा के वारिशान को पक्षकार प्रतिवादी बनाया हुआ है, जो बावजूद तामील अनुपस्थित रहे है, जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। पुना वल्द गजरा के वारिशान द्वारा किसी प्रकार का जवाब क्लेम नहीं किया गया है। अन्य प्रतिवादीगण ने भी न्यायालय में अपने आप परिक्षित नहीं करवाया है। लिहाजा तनकी सं0 1 बहक वादी तथा विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

02. आया वादी वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं।

(जिम्मे वादी)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2066-69 खाता सं0 175 खसरा नं0 840 की पेश की, जिसमें खातेदार कानाराम पुत्र भल्लाराम 1/3, पुखाराम पुत्र नवलाराम 1/3 व पुना पुत्र गजा 1/3 के अनुसार दर्जसुदा हैं। प्रदर्श–2 खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान ख.नं. 840 गत खसरा सं0 132/11, 132/13/1, 132/1/2 एवं 132/13 से बनना बताया गया है। खसरा मिलान के कॉलम सं0 23 व 24 में दर्ज खातेदार के नाम साथ ही बाद में पुना वल्द गजा दर्ज किया हुआ प्रतीत हो रहा हैं। उक्त नाम दर्ज करने के संबंध में खसरा मिलान के कॉलम सं0 26 विशेष विवरण में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या आदेश संबंधित अंकित किया हुआ नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–3 सम्वत् 2022–25 के गत खसरा सं0 132/12, 132/13/1, 132/18 पुकीया, मालीया बेटा नवला जात रा घांची के नाम खातेदारी दर्ज सुदा हैं तथा प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2022–25 के खसरा सं0 132/13 मालीया बेटा नवला जात रा घांची के नाम खातेदारी दर्ज सुदा है। उक्त जमावंदी में पुना वल्द गजरा के नाम की कोई खातेदारी दर्जसुदा नहीं हैं। उक्त दस्तावेजों के मिलान से यह स्पष्ट है कि सैटलमेंट के दौरान गत खसरा से नये खसरा सं0 840 दर्ज करते समय खातेदारों के साथ ही पुना वल्द गजा का इन्द्राज गलत दर्ज हुआ हैं। वादी कानाराम, मालीया का पुत्र है। सैटलमेंट के दौरान बाला पुत्र नवला के नाम भी खातेदारी दर्ज की गई थी, जो खसरा मिलान प्रदर्श–2 में अंकित है। बालुराम के पुत्र दमाराम ने वर्तमान ख.नं. 840 में अपना 1/3 हिस्सा के बेचान रजिस्ट्री वादी कानाराम के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी, जो दस्तावेज प्रदर्श–7ए है। जिससे प्रदर्श–1 में 1/3 हिस्से के रूप में ख.नं. 840 में वादी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज सुदा है। लेकिन प्रदर्श–3 व 4 जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुना वल्द गजा के नाम उक्त कृषि भूमि दर्जसुदा नहीं थी, लेकिन वर्तमान जमाबंदी में पुना वल्द गजा का 1/3 हिस्सा दर्जसुदा है। प्रदर्श–4 में वर्णित कृषि भूमि वादी कानाराम के पिता मालीया वल्द नवला अकेले के नाम खातेदारी थी। ऐसी स्थिति में वादी पुना वल्द गजा के 1/3 हिस्से के स्थान पर अपने नाम से खातेदारी हक की घोषणा करवाने का अधिकारी है। लिहाजा तनकी सं0 2 बहक वादी तथा विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

उक्त दोनो तनकियात वादी के पक्ष में तय की जाती है। जिससे तनकी सं0 3 व 4 उक्त तनकियात के अधीन ही है। सैटलमेंट के दौरान रेकर्ड में त्रुटी की वजह से पुना वल्द गजा का नाम इन्द्राज हो गया था, जो त्रुटीवश हो गया था, जिसे दुरूस्त करवाने तथा पुना वल्द गजा के स्थान पर खातेदारी हक की घोषणा का वाद पेश करने से तनकी सं0 4 वादी के पक्ष में तय की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र, जबाब दावा, फहरिस्त मय दरतावेज, बयानात गवाहान का अध्ययन का बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2066–69 खाता सं0 175 खसरा नं0 840, जिसमें खातेदार कानाराम पुत्र भल्लाराम 1/3, पुखाराम पुत्र नवलाराम 1/3 व पुना पुत्र गजा 1/3 के अनुसार दर्जसुदा हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रदर्श–2 खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान ख.नं. 840 गत खसरा सं0 132/11, 132/13/1, 132/1/2 एवं 132/13 से बनना बताया गया है। खसरा मिलान के कॉलम सं0 23 व 24 में दर्ज खातेदार के नाम साथ ही बाद में पुना वल्द गजा दर्ज किया हुआ प्रतीत हो रहा हैं। उक्त नाम दर्ज करने के संबंध में खसरा मिलान के कॉलम सं0 26 विशेष विवरण में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या आदेश संबंधित अंकित किया हुआ नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–3 सम्वत् 2022–25 के गत खसरा सं0 132/12, 132/13/1, 132/18 पुकीया, मालीया बेटा नवला जात रा घांची के नाम खातेदारी दर्ज सुदा हैं तथा प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2022–25 के खसरा सं0 132/13 मालीया बेटा नवला जात रा घांची के नाम खातेदारी दर्ज सुदा है। उक्त जमाबंदी में पुना वल्द गजरा के नाम की कोई खातेदारी दर्जसुदा नहीं हैं। उक्त दस्तावेजों के मिलान से यह स्पष्ट है कि सैटलमेंट के दौरान गत खसरा से नये खसरा सं0 840 दर्ज करते समय खातेदारों के साथ ही पुना वल्द गजा का इन्द्राज गलत दर्ज हुआ हैं। सैटलमेंट के दौरान बाला पुत्र नवला के नाम भी खातेदारी दर्ज की गई थी, जो खसरा मिलान प्रदर्श–2 में अंकित है। बालुराम के पुत्र दमाराम ने वर्तमान ख.नं. 840 में अपना 1/3 हिस्सा के बेचान रजिस्ट्री वादी कानाराम के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी, जो दस्तावेज प्रदर्श–7ए है। जिससे प्रदर्श–1 में 1/3 हिस्से के रूप में ख.नं. 840 में वादी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज सुदा है। लेकिन प्रदर्श–3 व 4 जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुना वल्द गजा के नाम उक्त कृषि भूमि दर्जसुदा नहीं थी, लेकिन वर्तमान जमाबंदी में पुना वल्द गजा का 1/3 हिस्सा दर्जसुदा है। प्रदर्श–4 में वर्णित कृषि भूमि वादी कानाराम के पिता मालीया वल्द नवला अकेले के नाम खातेदारी थी। ऐसी स्थिति में वादी को पुना वल्द गजा के 1/3 हिस्से के स्थान पर अपने नाम से खातेदारी हक की घोषणा करवाने का अधिकारी है। लिहाजा तनकियात के बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय होने से वादी को पुना वल्द गजा के 1/3 हिस्से के स्थान पर अपने नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी आदि करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खाता संख्या 840 रकबा 0.4100 है0 किस्म चा0अ0 चा0प्र0 की कृषि भूमि में वादी को पुना वल्द गजा के 1/3 हिस्से के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के 2/3 हक हिस्से में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी आदि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तदानुसार तहसीलदार सोजत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तक तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23.02.25 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इत्तादाई

(ओ०20 नियम 6–7 आज्ञा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी :–

1. कानाराम पुत्र मलाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मृतक पुखाराम पुत्र पुखाराम के कायम मुकाम

1/1 मृतक शोभाराम पुत्र पुखाराम के का0मु0

1/1/1– दाखु पत्नि शोभाराम

1/1/2–खेताराम पुत्र शोभाराम एन पूर्वी मिल्क मिल्स 20/7 गोलवाला मार्केट रिंगरोड सुरत, गुजरात।

1/1/3– सोहनलाल पुत्र शोभाराम जाति घांची निवासी सोजत (डिम्पल, महेन्द्र, उगमराम, सुमित्रा)

1/2 मृतक वेनाराम पुत्र पुखाराम के का0मु0

1/2/1– मैना देवी पत्नि वेनाराम

1/2/2– मदनलाल

1/2/3– जवरीलाल, निर्मला टेक्स टाईल्स Kama Road, Salai, Channasekuchi Manali Channai

1/2/3–जवरीलाल, निर्मला टेक्स टाईल्स Kama Road, Salai, Channasekuchi Manali Channai

1/2/4–जुगराज पुत्र वेनाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी हाल निवासी निर्मला टेक्स टाईल्स Kama Road, Salai, Channasekuchi Manali Channai

1/3 मृतक खीवाराम पुत्र पुखाराम के का0मु0

1/3/1–लक्ष्मण पुत्र खीवाराम जातियान घांची निवासी सोजत सिटी जिला पाली।

2. मृतक पुना पुत्र गजा के कायम मुकाम

2/1 पेमाराम

2/2 सुकराराम

2/3 मृतक कानाराम पुत्र पुना के कायम मुकाम

2/3/1–झुमरलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

।। श्री ।।

।।

कानाराम जातियान
घांची निवासी
सोजतसिटी।

3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 116 / 2012

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी एवं श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादीगण वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक दावा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खाता संख्या 840 रकबा 0.4100 है0 किस्म चा0अ0 चा0प्र0 की कृषि भूमि में वादी को पुना वल्द गजा के 1/3 हिस्से के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के 2/3 हक हिस्से में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी आदि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुवलिग – बावत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03/02/2025 को जारी किया गया।

(मासिगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
वकालतनामा	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
महनताना वकील	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
पर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य			
वावत इजराय					
हुक्मनामा					
मतफर्रिक					